संख्या 27/ 2015/1487/ सत्रह-म 2015 11-1 ड(2)/06

प्रेषक

चन्द्र कान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 03 नवम्बर 2015

विषय वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्र पोषित स्टैन्थनिंग आफ डाटा बेस एण्ड इनफारमेंशन फार द फिशरीज सेक्टर योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 394 / नि0शा0 दिनांक 06-10-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश सख्या 696/सत्रह-म-2014 -11-1 ड(2)/06 दिनांक 13-06-2014 द्वारा रू0 14.65 लाख की वित्तीय स्वीकृति लेखानुदान अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत की गयी थी, कि भारत सरकार से केन्द्रांश /प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए आहरण एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए केन्द्र पोषित स्टैन्थनिंग आफ डाटा बेस एण्ड जियोग्राफिकल इनफारमेंशन फार द फिशरीज सेक्टर योजनान्तर्गत भारत सरकार कृषि मंत्रालय पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य विभाग के पत्र संख्या 34-11(8)/2008 – एफ0वाई0(एस) दिनांक 20-11-2014 द्वारा रू0 23.39 लाख की केन्द्रीय सहायता अवमुक्त की गयी , जिसमें से वेतन मद में 11.89 लाख, कार्यालय व्यय में रू0 0.30 लाख , यात्रा व्यय में रू0 1.00 लाख तथा स्टाइपेन्ड फार 10 पार्ट टाइम इन्यूमरेटर के मद में रू0 10.20 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी । वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश दिनांक 13-06-2014 द्वारा स्वीकृति की गयी धनराशि रू0 14.85 लाख् का आहरण न होने के कारण उक्त शासनादेश दिनांक 13-06-2014 द्वारा निर्गत धनराशि को शासनादेश संख्या 07/2015 / 2276/ सत्रह-म- 2014 11-1 –ड(2)06 दिनांक 12-01-2015 द्वारा निरस्त करते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए भारत सरकार के पत्र दिनांक 20-11-2014 द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0 23.39 लाख् की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी ।

3 उक्त धनराशि में से भारत सरकार के पत्र संख्या 34-11(8)/2008 – एफ0वाई0(एस) दिनांक 02 सितम्बर 2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवशेष धनराशि रू0 11.28 लाख को वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय करने हेतु पुनर्वैध की गयी है। अत: पुर्नवैध की गयी धनराशि रू0 11.28 लाख में से रू0 10.20 लाख स्टाइपेन्ड फार 10 पार्ट टाइम इन्यूमरेटर के पदस्था हेतु श्री राज्यपाल महोदय जनपद गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्वार्थनगर, वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर , इलाहाबाद, सहारनपुर एवं उन्नाव के लिए निम्न विवरणानुसार आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें है -

(इकाई रू0 लाख में)

मद कोड	मद	बजट प्रावधान	केन्द्रांशके रूप में स्वीकृति धनराशि
01	वेतन	10.03	
02	मजदूरी	66.30	10.20

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

03	मंहगाई भत्ता	12.04	
04	यात्रा व्यय	शून्य	
06	अन्य भत्ते	1.45	
08	कार्यालय व्यय	शून्य	
42	अन्य व्यय	400.00	
47	कम्प्यूटरअनुरक्षण/तत्संम्बधी स्टेशनरी का क्रय	शून्य	
51	वर्दी व्यय	शून्य	
योग		489.82	10.20

1 उपरोक्त स्वीकृति धनराशि पूर्व निर्धारित नियमों एवं शर्तों तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं गाइड लाइन् के अनुसार आहरित कर व्यय की जायेगी ।

2 उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक अनुदान संख्या -17 के अधीन लेखाशीर्षक -2405- मछली पालन- आयोजनागत -800-अन्य व्ययक 01- केन्द्र प्रयोजित योजनाएं 0104- स्ट्रैन्थनिंग आफ डाटा बेस एण्ड इनफारमेंशन नेटवर्किग फार द फिशरीज सेक्टर (के0 100/रा0 00-के) के नामे डाला जायेगा

3 यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी-1-1685-दस – 16/1992, दिनांक 07 जुलाई, 1992 में प्रदत्त अधिकारों तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2015 /बी0-1-925/दस -2015 -231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(चन्द्रकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या 27 /2015/ 1487 (1)/ सत्रह- म- 2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद
3- अनुसचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य विभाग कृषि भवन नई दिल्ली के पत्र संख्या 34-11(8)/2008 – एफ0वाई0(एस) दिनांक 02 सितम्बर 2015 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय लखनऊ ।
6- कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
7- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(लाल धीरेन्द्र राव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com